

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)में दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० राम विलास सदाय, श्री त्रिभुवन सदाय, अनु० जाति	श्रीमती रेखा देवी (पत्नी)	185/12.3.18	ग्रा०+पो०-बथने, था०+प्र०-पंडौल, मधुबनी	75130001 00014815	PNB, कार्टी, PUNB0751300	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतहार मजदूर
2	स्व० राम नारायण चौधरी, स्व० राज कुमार चौधरी, पि० जाति	श्रीमती कंचन देवी (पत्नी)	186/12.3.18	ग्रा०-मिर्जापुर, पो०+प्र०+था०-राजनगर, मधुबनी	36315418 743	SBI, राजनगर, SBIN0015757	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, आटा चक्की में मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० अनिल कुमार झा, श्री भूषण झा, सामान्य	श्रीमती उषा देवी (पत्नी)	187/12.3.18	ग्रा०+पो०-धकजरी, था०-अरेर, प्र०-वेनीपट्टी, मधुबनी	10039710 30007154	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, धकजरी, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पान बेचने के व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० अमरेन्द्र कुमार ठाकुर, श्री काशीकान्त ठाकुर, पि० जाति	श्रीमती रुडिया देवी (पत्नी)	188/12.3.18	ग्रा०-धनुकी, पो०+था०-सकरी, प्र०-पडौल, मधुबनी	10032610 30029576	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, भौआडा, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, चर्द व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 400000/-

(चार लाख रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-47/2015 के पृष्ठ-25/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-47/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-47/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-47/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-47/2015-345

पटना, दिनांक :-26-07-18

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, मधुबनी को उनके ज्ञापांक 185, 186, 187, 188 दिनांक 12.3.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24/07/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

24/07/18

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

26/07/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।